राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

पत्रांकः—आर0एम0पी0यू0/1101/2024 दिनांकः—29 मई, 2024

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त महाविद्यालय,
संबद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ।

विषयः—प्रवेश नियमावली के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 24.05.2024 में अनुमोदित विश्वविद्यालय की प्रवेश नियमावली इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रवेश नियमावली में अंकित दिशा निर्देशों के अनुसार ही महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश पूर्ण करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक महाविद्यालय उस पाठ्यक्रम में कतई प्रवेश न ले, जिस पाठ्यक्रम में उस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से सत्र 2024—25 हेतु सम्बद्धता प्राप्त नही है।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय

29/5

डा0(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. वित्त अधिकारी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा/अलीगढ़।
4. सम्पादक, समस्त समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी, वेबसाइट को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉगिन आई0डी0 तथा विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. गार्ड फाईल।

28.05.24

उप कुलसचिव

V letter

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

सत्र–2024–2025

विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के लिए प्रवेश नियमावली

प्रवेश नियम

1. **प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल https //rmpsuweb.in पर समयबद्ध सफल पंजीकरण कराना अनिवार्य है।**
2. **योग्यता सूची के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पंजीकरण पोर्टल https //rmpsuweb.in के माध्यम से ही समयबद्ध सफल पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जायेगें।**
3. **10 प्रतिशत आरक्षण नीति EWS (सामान्य श्रेणी के लिये निर्धारित कुल सीट्स का 10 प्रतिशत अर्थात यदि कुल स्थान 100 हो तो सामान्य श्रेणी की 50 सीट्स मे से 5 सीट EWS श्रेणी) के लिए अनुमन्य है।**
4. **विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बिना कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा।**

यह प्रवेश नियमावली विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम यथा डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (वर्तमान में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ पर लागू) के अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होगें तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, गृहविज्ञान, कृषि, प्रबन्धन, शिक्षा तथा विधि संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होगें। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा, जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा महामहिम कुलाधिपति महोदय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान है तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमावली के आधार पर समस्त कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जायेगें।
2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनके दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3. सत्र 2024–25 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली (Admission Monitoring System) के माध्यम से किये जायेंगे। इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी पांच चरणों क्रमशः (1) पंजीयन (2) वेब रजिस्ट्रेशन (3) फार्म भरना (4) पाठ्यक्रम चुनना (5) फार्म Offline / Online माध्यम से पूर्ण करके जिस महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है, वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र है, परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगें जो प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली (Admission Monitoring System) की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेगें।
4. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट **https //rmpsuweb.in** के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेंगी।
5. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय एवं प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध है।
6. विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी से स्नातक स्तर पर 200/- रू० तथा परास्नातक स्तर पर 300 /– रू० शुल्क वेब रजिस्ट्रेशन के रूप में लिया जायेगा।

सामान्य निर्देश

1.(अ). सत्र 2024–2025 के लिए प्रत्येक कक्षा में प्रवेश उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार लिया जायेगा। उत्तर प्रदेश के निवासी ही आरक्षण के हकदार होगें। अन्य प्रदेशों से आये हुए अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेगें। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अनारक्षित व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में उ0प्र0 शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, (Non Creamy Layer) 4 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए (छात्र के स्वंय से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा 10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के लिए आरक्षित होगें। दिव्यांगजन के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। यदि कश्मीरी छात्र व छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी। यदि आरक्षित वर्ग एस०सी०/एस०टी०/ ओ०बी०सी० वर्ग (OBC/SC/ST) के अभ्यर्थियों की मेरिट अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान अथवा उससे ऊपर आती है तब उसको प्रवेश अनारक्षित श्रेणी में दिया जायेगा। अन्य आरक्षण जैसे दिव्यांगजन आदि क्षैतिज आधार पर होगा।

(ब) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर प्रत्येक कालेज को प्रवेश नियमावली अपलोड कराना होगा। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय एक कम्प्यूटर ऑपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इन्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है।

(स) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है एवं प्रवेशोपरान्त यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में योग्यतांक सूची में स्थान प्राप्त करता है और वह उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र/छात्रा के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर रदद् कराना होगा। ऐसी स्थिति में छात्र/छात्रा को 30 दिन के अन्दर लिखित रूप में प्रवेश की तिथि से आवेदन करना होगा। 90 % शुल्क की वापिसी कॉलेज द्वारा अधिकतम 2 माह के अन्दर छात्र/छात्रा को करनी होगी।

2. (i) सत्र 2024–25 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश उपरोक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत दिये जायेगें तथा प्रवेश शुल्क के साथ 300/– रू० उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा।

(ii) एलएल0एम० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक अनारक्षित श्रेणी एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 55 प्रतिशत अंकों एवम् अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(iii) एलएलबी० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक अनारक्षित श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(iv) बी0ए0 एलएल0बी० पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2 (इण्टरमीडिएट) अनारक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(v) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो, ऐसे छात्रों को स्नातक एवं बी0ए0एलएलबी0 में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।

(vi) बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बी०पी०ई०एस० 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो। प्रवेश हेतु एन०सी०टी०ई० की अन्य शर्तें मान्य होगीं।

(vii) बी0एड0 पाठयक्रम में प्रवेश राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जायेगें।

(viii) एम0ए0 में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया गया हो परन्तु परास्नातक के प्रयोगात्मक एवम् साहित्यिक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक मुख्य विषय के रूप में पढ़ा जाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत अंकों की छूट मान्य होगी।

(ix) एम०एससी० में प्रवेश हेतु चयनित विषय स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय के रूप में पढा गया हो। उपरोक्त विषयों में स्नातक अनारक्षित एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत अंको की छूट अनुमन्य होगी।

(x) एम०एससी० (एग्रीकल्चर) में प्रवेश हेतु, ऐसे छात्र जिन्होंने बी०एससी० (एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एम०एससी० (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होगें, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बी०एससी० (एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एम०एससी० (एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होगें।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम प्राप्तांक 45 प्रतिशत होना अनिवार्य है तथा सम्बन्धित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(xi) एम०कॉम० में प्रवेश हेतु बी०कॉम० त्रिवर्षीय परीक्षा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(xii) सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर (बी0एड0 को छोडकर) के लिए महाविद्यालयों में आवेदन–पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 30 जून, 2024 होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल रोका गया हो, वह कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की दशा में परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेगें।

• महाविद्यालय खुलने के तिथि	01 जुलाई, 2024
• स्नातक प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि	01 मई 2024
• स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में पंजीकरण की अन्तिम तिथि	30 जून, 2024
• स्नातक प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश आरम्भ की तिथि	01 जुलाई, 2024
• स्नातक प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की अन्तिम तिथि	15 जुलाई, 2024
• स्नातक प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर कक्षाओं में पठन–पाठन आरम्भ करने की तिथि	16 जुलाई, 2024
• स्नातकोत्तर एवं विधि (त्रिवर्षीय) प्रथम वर्ष /प्रथम सेमेस्टर प्रवेश की अन्तिम तिथि	15 जुलाई, 2024
• स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के पठन–पाठन प्रारम्भ करने की तिथि	16 जुलाई, 2024

नोट–सभी तिथियाँ विश्वविद्यालय से समय–समय पर प्राप्त होने वाली निर्देशों के अनुरूप परिवर्तनीय है।

• उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।

3. (अ) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

4. नियमानुसार एलएल0बी0 06 वर्ष, बी०ए०एलएल०बी० 08 वर्ष, स्नातक–कृषि अधिकतम 07 वर्ष, स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 09 वर्ष (प्रति शैक्षणिक सत्र कुल 3 वर्ष में उत्तीर्ण होना आवश्यक), परास्नातक अधिकतम 06 वर्ष (प्रति शैक्षणिक सत्र 3 वर्ष में उत्तीर्ण होना आवश्यक) में पूर्ण करना अनिवार्य होगा अथवा नई शिक्षा नीति के निर्देशानुसार होगा। दो वर्ष का अन्तराल वाले छात्र/छात्राओं को ही महाविद्यालय द्वारा

प्रवेश दिया जायेगा। इससे अधिक अन्तराल वाले छात्र/छात्राओं को किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही दिया जायेगा। किसी भी छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए नही भेजा जायेगा। अन्तराल के सम्बन्ध में छात्र/छात्रा को निम्न चार बिन्दुओं पर रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर प्राचार्य के समक्ष शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1. किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता का दोषी नहीं पाया गया हो।
2. किसी भी न्यायालय में नैतिक अपराध में दण्डित न हुआ हो।
3. किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत न हो।
4. कहीं सेवारत न हो।

5. प्राचार्य को प्रवेश के सम्बन्ध में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की परिनियमावली डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के अध्यादेश–19 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होगें।

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college He shall however duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith-"

स्पष्टीकरणः उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से महाविद्यालय द्वारा इंकार किया जा सकता है।

(अ) यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।

(ब) यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध मे दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी–

(i).बी०एससी० (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित वर्ग या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(ii). बी०एससी० (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट जीव विज्ञान वर्ग या इण्टर कृषि वर्ग परीक्षा में उत्तीर्ण।

(iii). बी०एससी० (कृषि) के लिए कला वर्ग को छोड़कर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(iv). बी०ए०/ बी०कॉम० के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(v). बी0एससी0 (गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में से किसी भी पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ब) कृषि / विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी०एससी० (कृषि)/ बी०एससी० परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों को न्यूनतम 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईट / अंक दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होगें ।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगें:

(i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडियट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

(ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य प्रदेशों से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 05 प्रतिशत विदेशी छात्र/छात्रा भी सम्मिलित है।

(iii) शासनादेश संख्या जी0आई0 35 / सत्तर–1–2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र–छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) क्रमांक–ii व क्रमांक–iii में रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रमांक–i के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

(v) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। समिति के निम्नलिखित सदस्य होगें:–

(a) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

(b) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य चक्रानुसार।

(c) जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ के प्राचार्य द्वारा नामित मेडिसन विभाग का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोटः–कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

(vi) समय–समय पर जारी किए गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक–स्नातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नही दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(vii) समिति का यह भी दायित्व होगा कि शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन 'सुनिश्चत किया जाये।

शैक्षिक अंकों की गणना :–

7. (क) स्नातक कक्षायें:–

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 %.

2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 %.

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:–

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत।

2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुल योग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ..
(क) प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक

(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक

(ग) तृतीय विजेता होने के लिए – 3 अंक

(घ) प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक

2. एन०सी०सी० ''सी'' सर्टीफिकेट / जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक

अथवा

एन०सी०सी० ''बी'' सर्टीफिकेट / जी–1 उत्तीर्ण केडिटों को 6 अंक

अथवा

एन०सी०सी० केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है तथा 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। 3 अंक

3. स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र / पौत्री) 5 अंक

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंय सेवकों को 5 अंक

5. बी०कॉम० (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होनें इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:–

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:–

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए 8 अंक

(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए 7 अंक

(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए 6 अंक

(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए 3 अंक

2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए–

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए 5 अंक

(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए 4 अंक

(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए 3 अंक

(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए 2 अंक

3. एन०सी०सी० ''सी'' सर्टीफिकेट / जी–2 उत्तीर्ण कैडिटों को 8 अंक

अथवा

एन०सी०सी० ''बी'' सर्टीफिकेट / जी–1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को 6 अंक

अथवा

एन०सी०सी० केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। 3 अंक

4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए 5 अंक

5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो।

(क) प्रथम विजेता होने के लिए 5 अंक

(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए 4 अंक

(ग) तृतीय विजेता होने के लिए 3 अंक

(घ) प्रतिभाग करने के लिए 2 अंक

नोटः–

(क) उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी, स्पोटर्स काउन्सिल कमैटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित / एन०सी०सी० अधिकारी / एन०एस०एस० समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र / रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ख) सभी कक्षायेंः

(i). राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्तपोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी / अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति / पत्नी / पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियां के पति / पत्नी / पुत्र/पुत्री ।

17 अंक

(ii). भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री (अविवाहित)।

10 अंक

(iii). **भारतीय सेना / पैरा मिलिट्री फोर्स / अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी०ए०सी०) में कार्य करते हुये शहीदों के पुत्र / पुत्री / विधवाओं को प्रवेश में।**

17 अंक

टिप्पणीः

(i). प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वंय करेगा। यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी ।

(ii). प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नही किया जायेगा।

(iii) प्रवेश हेतु आवेदन करते समय अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेने हेतु संम्बन्धित प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से संलग्न करें तथा संलग्न प्रमाण पत्र वैध हो अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत समझा जायेगा।

नोट–

(iv). किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मुत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।

(v). शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी, स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित / एन०सी०सी० अधिकारी / एन०एस०एस० अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगें, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नही हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर संलग्न करना होगा।

(ब) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा. लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नही करेगें। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृति सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नाताकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 30 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

(द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढाये जाने की व्यवस्था नही है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

(य) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेगें और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(र) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेगें और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नही करेगें।

(ल) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(व) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और वेवसाइट पर सूचनाओं व सूचियों की अद्यतन "अप–टूडेट" जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नही हुआ, उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का ही होगा।

9. आवेदक यदि किसी आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

10. यदि छात्र/छात्रा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और छात्र/छात्रा ने इंटर की परीक्षा यू०पी० बोर्ड से उतीर्ण की है तो मूल निवास प्रमाण पत्र भरने की बाध्यता नहीं है। किसी अन्य बोर्ड अथवा प्रांत से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में निवास प्रदर्शित किया हो तो प्रवेश प्रक्रिया के समय मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कुलसचिव

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

सत्र 2024–25 में विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रस्तावित पात्रता मापदंड

विश्वविद्यालय वेबसाइट–https://rmpssu.ac.in

	Eligibility Criteria	
	M.Sc. (A.g.) Programme	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Horticulture Agronomy Animal Science Dairy Science Plant Diseases Genetics and Plant Breeding Agricultural Economics Agricultural Extension Animal Husbandry & Dairying Soil Science & Agriculture Chemistry	Four years Bachelor's Degree in Agriculture with 45% marks in aggregate and 50 % marks in Concerned Subject. 5 % relaxation shall be applicable for SC/ST.
	M.A. Programme	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	English Hindi Urdu Sanskrit Economics History Political Science Psychology Sociology Geography Drawing & Painting Music (Vocal, Sitar, Table) Defence Studies (Military Science) Education Philosophy Home Science	(i) Bachelor's Degree with 45% marks in the aggregate. For SC/ST candidates relaxation upto 5% marks in aggregate.
	Programmes in Education	
1	Master of Education (M.Ed.)	Candidates seeking admission to the M.Ed. Programme should have obtained at least 50% marks or an equivalent grade in the following programmes- (i) B.Ed. Or (ii) B.A. B.Ed. , B.Sc. B.Ed. Or (iii) B.El.Ed. Or (iv) D.El.Ed. with an undergraduate degree with 50 % marks in each. 5 % Relaxation for SC/ST shall be applicable.
2	B.P.E.S.	10+2 with 45% marks for Gen./OBC & 40% marks for SC/ST (Science/Comp. Sci./Art (With Home Sci./Math)/Commerce (with Math) Stream)with sports certificate.
3	B.P.Ed.	(a) Bachelor's degree in any discipline with 50% marks and having at least participation in the Inter- College/Inter-Zonal/District/School completion in sports and games as recognized by the AIU/IOA/SGFI/Govt. of India. **Or**

		(b) Bachelor's degree in physical education with 45% marks. **Or** (c) Bachelor's degree in any discipline with 45% marks and studied physical education as compulsory/elective subject. **Or** (d) Bachelor's degree with 45% marks and having participated in National/Inter University/State competitions or secured 1st, 2nd or 3rd position in Inter College/Inter -Zonal/District/School competition in sports and games as recognized by the AIU/IOA/SGFI/Govt. of India. Or (e) Bachelor's degree with participation in international competition or secured 1st, 2nd or 3rd position in National/Inter-University competition in sports and games as recognized by respective federation/ AIU/IOA/SGFI/Govt. of India. Or (f) Graduation with 45% marks and at least three years of teaching experience (for deputed in-service candidates i.e. trained physical education teachers/coaches) The relaxation of 5% marks in the qualifying examination shall be applicable for SC/ST.
		M.Sc. Programme
1 2 3 4 5 6 7 8	Botany Chemistry Mathematics Microbiology Physics Statistics Zoology Geology	(i) B.Sc. Degree (with the concerned subject as one of the main subject) with 45% marks in aggregate and 50% marks in the subject concerned. The relaxation of 5% marks in the qualifying examination shall be applicable for SC/ST. (ii) For admission to M.Sc. (Microbiology), Candidates having B.Sc. degree with Chemistry, Botany and Zoology.
	Programmes of Study	**Minimum Eligibility Criteria**
	Master's Programmes	
1	M.Com.	B.Com degree with 45% marks in aggregate. The relaxation of 5% marks in the qualifying examination shall be applicable for SC/ST.
2	LL.M.	L.L.B. (3 years/5 years course) with 55% marks for General/OBC and 50% for SC/ST and OBC
	M.Sc./Master's Programmes	
1	M.Sc. Biotechnology	Bachelor's degree in Biology (CBZ)/Biotechnology/ Microbiology, With 45% marks in aggregate and 50% in subject concerned. The relaxation of 5% marks in the qualifying examination and subject concerned shall be applicable for SC/ST
2	M.Sc. Environmental Science	Bachelor's degree with Biology group (ZBC)/ Biotechnology/ Microbiology/Geology/Geography and B.Sc. Ag. With 45% marks in aggregate . The relaxation of 5% marks in the qualifying examination shall be applicable for SC/ST.
3	M.Sc. Computer Science	Bachelor's degree with Computer Sc./Computer Application/Physics/Maths with 45% marks. The relaxation of 5% marks in the qualifying examination shall be applicable for SC/ST.
Bachelor's Programmes		

1	B.A. (Arts Group) - Hindi, English, Economics, History, Political Science, Sanskrit, Sociology, Urdu, Philosophy, Education, Geography, Drawing & Painting, Physical Education, Home Science, Psychology, Defence Studies, Home Science	10+2 with 33% marks. Or equivalent examinations..
2	Bachelor of Commerce (B.Com.)	10+2 with 33% marks (Eligibility - Commerce (5% additional marks), Arts, Science. Or equivalent examinations
3	B.Sc. (Maths group) PCM. PSM,	10+2 with 33% marks (Eligibility - PCM/PCMB).
4	B.Sc. (Bio group) BCZ	10+2 with 33% marks (Biology)
5	Bachelor of Library & Information Science (B.L.I.Sc.)/ B.Lib.	Bachelor's degree (45% marks) in any discipline. The relaxation of 5% marks in the qualifying examination shall be applicable for SC/ST.
6	LL.B. (3Year)	Bachelor's degree with minimum 45% marks for Gen, 42% for marks for OBC and 40% marks for SC/ST (All streams)
7	B.A. LL.B (Five Year)	10+2 with 45% marks for Gen. 42% marks for OBC and 40% marks for SC/ST. (All subjects)
8	B.Sc. Biotechnology	10+2 with 45% marks for Gen./OBC & 40% marks for SC/ST (Bio/Chem./Comp Science/PCB/PCBE/PCMB/PCM/Math/Ag)
9	B.Sc. Microbiology	10+2 with 45% marks for Gen./OBC & 40% marks for SC/ST (Ag/BC Comp. Sci./Math/ PCB/ PCBE/ PCM/ PCMB)
10	Bachelor of Business Administration (BBA)	10+2 with 45% marks for Gen./OBC & 40% marks for SC/ST (all streams)
11	Bachelor of Computer Application (BCA)	10+2 with 45% marks for GEN/OBC and for SC/ST 40% marks. (Art with maths)/Ag/Bio/Science/Commerce), Maths mandatory at Intermediate.
12	B.F.A. (Bachelor of fine Arts)	10+2 with 45% marks for Gen./OBC & 40% marks for SC/ST (All streams)
13	B.Sc. Home Science	10+2 with 45% marks for Gen./OBC & 40% marks for SC/ST (PCB/PCBE/PCMB) Or Home Science mandatory at 10th Or 12th level with Arts/Commerce.
14	B.Sc. Ag. (Hons.) 4 year programme	Must have passed 10+2 Senior Secondary Examination in Agriculture/ PCB/PCBM/PCM from Central Board of Secondary Education (CBSE) of an equivalent exam (Indian Board/University) with minimum prescribed marks/grade. General/OBC category candidates must have secured at lease 50% aggregate marks at 10+2 level while SC/ST category candidates must secured a minimum of 45% marks at 10+2 level.
15	B.Voc. (IT)	10+2 (with any stream, with 45% marks for Gen./OBC & 40% marks for SC/ST
16	Diploma in Yoga Education	10+2 with 45% marks for Gen./OBC & 40% marks for SC/ST.
17	Master of Library and information Science	B.Lib or B.L.I.Sc with 55% marks for Gen./OBC & 45% marks for SC/ST.
18	B.Sc. (Voc). Computer Application	10+2 (PCM) with 45% marks for Gen./OBC & 40% marks for SC/ST.
19	B.Sc. (Voc). Biotechnology	10+2 (Bio Group) with 45% marks for Gen./OBC & 40% marks for SC/ST. The relaxation of 5% marks in the qualifying examination shall be applicable for SC/ST.

20	PGDBM	Bachelor's degree with minimum 45% marks for Gen./OBC & 40% marks for SC/ST
21	PGDCA	Bachelor's degree with mathematics as subject with 45% or B.C.A. Degree with 45% marks for Gen./OBC & 40% marks for SC/ST
22	PGDCP	Bachelor's degree with mathematics as subject with 45% or B.C.A. Degree with 40% marks for Gen./OBC & 40% marks for SC/ST
23	D.Lib.Sc.	10+2 with 45% marks for Gen./OBC & 40% marks for SC/ST.

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

शासनादेश सं0—1065 / सत्तर—3—2021—16(26) / 2011 दिनांक 20.04.2021 द्वारा शैक्षिक सत्र 2021—22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के अनुसार न्यूनतम पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में लागू किया गया है। जिसमें प्रवेश के समय विषय चुनाव, पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास, डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गए हैं।

1. संकाय निर्धारण

शासनादेश सं0—1267 / सत्तर—3—2021—16(26) / 2011 दिनांक 15.06.2021 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 में इस विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न विषयों एवं संकायों का निर्धारण इस प्रकार है:—

कला , मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय	विज्ञान संकाय	भाषा संकाय	ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय	अन्य संकाय
1. रक्षा अध्ययन 2. अर्थशास्त्र 3. शिक्षाशास्त्र 4. भूगोल 5. इतिहास 6. दर्शनशास्त्र 7. शारीरिक शिक्षा 8. राजनीतिशास्त्र 9. मनोविज्ञान 10. समाजशास्त्र 11. गृहविज्ञान 12. पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान	13. वनस्पति शास्त्र 14. रसायन शास्त्र 15. कंप्यूटर विज्ञान 16. भूगर्भ विज्ञान 17. गणित 18. भौतिक विज्ञान 19. सांख्यिकी 20. जंतु विज्ञान 21. जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान 22. औद्योगिक रसायन विज्ञान	23. संस्कृत 24. हिंदी 25. अंग्रेजी 26. उर्दू	27. ललित कला 28. संगीत गायन 29. संगीत सितार 30. संगीत तबला 31. संगीत	विधि कृषि ग्रामीण विज्ञान संकाय शिक्षक शिक्षा वाणिज्य प्रबन्धन व्यावसायिक अध्ययन

2. विषय चयन की व्यवस्था

विषय चयन की व्यवस्था निम्न प्रकार से रहेगी—

2.1. प्रथम वर्ष में विषयों का चुनाव

2.1.1. प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय, सर्वप्रथम विद्यार्थी अपने संकाय (कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान/विज्ञान/भाषा/ललित कला एवं प्रदर्शन कला/अन्य संकाय) का चुनाव करेगा, यह उसका "**अपना संकाय**" कहा जायेगा।

2.1.2. तत्पश्चात विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों का चुनाव करेगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसको चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है।

2.1.3. इसके अतिरिक्त विद्यार्थी को एक माइनर विषय (Minor Elective) का चयन इस प्रकार करना होगा कि तृतीय विषय अथवा माइनर विषय में कम से कम एक, उसके अपने संकाय से न हो। यह विषय प्रथम व द्वितीय वर्ष में केवल एक सेमस्टर (प्रथम तथा तृतीय अथवा द्वितीय तथा चतुर्थ सेमस्टर)के लिए ही होगा।

2.1.4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं.1–18/2019(CPP&II) दिनांक 15/04/2021 द्वारा NCC को एक चार क्रेडिट के माइनर विषय के रूप में मान्यता दी गयी है, अतः यदि कोई विद्यार्थी स्नातक स्तर के वर्षों में NCC-B अथवा NCC-C प्रमाण पत्र अर्जित करता है,तो उसे एक माइनर विषय मानकर उसके चार क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।

2.1.5. इस प्रकार प्रथम वर्ष में छात्र के पास तीन मुख्य विषय, एक माइनर विषय (केवल एक सेमेस्टर में) अथवा NCC (यदि विद्यार्थी प्रथम वर्ष में NCC-B अथवा NCC-C प्रमाण पात्र अर्जित कर सकता है, तो माइनर विषय के विकल्प के रूप में), एक अनिवार्य सह–पाठ्यक्रम तथा एक रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रति सेमस्टर होगा।

2.2. द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन एवं विषयों का चुनाव

2.2.1. द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में छात्र अपने माइनर विषय (Minor Elective) का पुनः चुनाव करेगा, जो प्रथम वर्ष वाला भी हो सकता है अथवा उससे भिन्न भी।

2.2.2. इस प्रकार द्वितीय वर्ष में छात्र के पास तीन मुख्य विषय, एक माइनर विषय (केवल एक सेमेस्टर में) अथवा NCC (यदि विद्यार्थी द्वितीय वर्ष में NCC-B अथवा NCC-C प्रमाण पात्र अर्जित कर सकता है तो माइनर विषय के विकल्प के रूप में), एक अनिवार्य सह–पाठ्यक्रम तथा एक रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रति सेमस्टर होगा।

2.3. तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन एवं विषयों का चुनाव

2.3.1. तृतीय वर्ष में छात्र आगामी अध्ययन के लिए प्रथम तीन मुख्य विषयों में से किन्ही भी दो का चुनाव कर सकते हैं बशर्ते उसने उन दोनों विषयों का प्रथम व द्वितीय वर्ष में मुख्य विषय के रूप में अध्ययन किया हो इसका अर्थ यह है कि छात्र तृतीय वर्ष में अपनी उच्च शिक्षा के लिए उसी विषय का चुनाव कर सकता है, जिसमें उसने प्रथम व द्वितीय वर्ष में मिलाकर 24 क्रेडिट्स अर्जित किये हों अथवा (कक्षोन्नत के स्थिति में) कर सकता हो।

2.3.2. इस प्रकार तृतीय वर्ष में छात्र के पास दो मुख्य विषय, एक अनिवार्य सह–पाठ्यक्रम प्रति सेमेस्टर तथा एक लघु शोध परियोजना होगी।

2.3.3. तृतीय वर्ष के दो मुख्य विषयों मे से किसी भी एक विषय में स्नातकोत्तर मे प्रवेश की सुविधा रहेगी।

2.3.4. इसके अतिरिक्त तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अपने मुख्य विषय में से किसी एक से सम्बन्धित एक लघु शोध परियोजना भी तैयार करनी होगी, जिसका मूल्यांकन महाविद्यालय स्तर पर किया जायेगा, परन्तु CGPA में इसकी गणना नही की जाएगी।

2.4. **स्नातकोत्तर स्तर पर विषयों का चुनाव**

2.4.1 त्रिवर्षीय स्नातक के पश्चात स्नातकोत्तर स्तर में अध्ययन के लिए छात्र को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप, उपलब्ध सीटो के आधार पर किया जायेगा।

2.4.2. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के समय छात्र सर्वप्रथम अपने संकाय का निर्धारण करेगा यथा–कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा, ललित कला एवं प्रदर्शन कला, अन्य संकाय, तत्पश्चात् प्रत्येक छात्र को अपने विषय के अतिरिक्त एक माइनर विषय किसी अन्य संकाय से चुनना होगा, जो चार क्रेडिट्स का तथा मात्र प्रथम सेमेस्टर में ही पढना होगा।

2.4.3. इस प्रकार अपनी शिक्षा के चतुर्थ वर्ष में छात्र के पास प्रथम सेमेस्टर में एक मुख्य विषय तथा एक माइनर विषय होगा, परन्तु आगामी अन्य सेमेस्टर में वह केवल अपने मुख्य विषय का ही अध्ययन करेगा। चतुर्थ वं पंचम वर्ष में छात्र को एक–एक शोध परियोजना भी करनी होगी, जिसके आठ क्रेडिट्स प्रति वर्ष उसके CGPA में जोडे जायेंगे।

3. रोजगार परक/कौशल विकास (Vocational/Skill Development Courses) के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में

3.1. रोजगार परक पाठ्यक्रम में दो प्रकार के हो सकते है:–

Individual Nature- एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम

Progressive Nature-एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोडने पर वह पूर्ण हो सकेगा।

3.2. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में तीन क्रेडिट्स (कुल 3X4 = 12 क्रेडिट्स के कुल चार पाठयक्रम) का एक रोजगारपरक पाठयक्रम पूर्ण करना होगा।

3.3. विद्यार्थी अपनी पसंद तथा सुविधानुसार पाठयक्रम का चुनाव कर उसे आनलाइनल पोर्टल जैसे UGC, SWAAYAM, MOOC's etc पर पूर्ण कर सकता है।

3.4. इस रोजगारपरक पाठयक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर अर्जित किये गए क्रेडिट्स के सर्टिफिकेट को विद्यार्थी महाविद्यालय में जमा कराएंगे, जिससे वह उनके परीक्षा परिणाम में यथा स्थान पर जोडा जा सके।

3.5. आफलाइन कोर्सेज के लिए विद्यार्थी को महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो भी रोजगार परक कोर्स संचालित हो रहे हो, उन्ही का चुनाव करना होगा।

3.6. महाविद्यालय इनके लिए अपने स्तर पर एक कौशल विकास प्रकोष्ठ का गठन कर सकता है, जिसका कार्य इन कोर्सेज को संचालित करने हेतु आवश्यक निर्णय लेना होगा।

4. अनिवार्य सह–पाठयक्र (Co-Curricular Course)

4.1. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों के कुल छह सेमेस्टर में से प्रत्येक में एक सह– पाठयक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा, इन छह सेमेस्टरों में निर्धारित सह –पाठयक्रम निम्न है–

- ➢ FIRST SEMSESTR- FOOD, NUTRITION AND HYGIENE
  भोजन, पोषण एवं स्वच्छता
- ➢ SECOND SEMESTER- FIRST AID AND HEALTH
  प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य
- ➢ THIRD SEMESTR- HUMAN VALUES AND ENVIRONMENTAL STUDIES
  मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन
- ➢ FOURTH SEMESTER- PHYSICAL EDUCATION AND YOGAS
  शारीरिक शिक्षा और योग
- ➢ FIFTH SEMESTER- ANALYTIC ABILITY AND DIGITAL AWARENESS
  विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल जागरूकता
- ➢ SIXTH SEMESTER- COMMUNICATION SKILLS AND PERSONALITY DEVELOPMENT
  संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास

4.2. इस सभी सह–पाठयक्रम को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। विद्यार्थी की अंक तालिका पर इनके ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु इन्हे CGPA की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, परन्तु इन्हे उत्तीर्ण किये बिना विश्वविद्यालय द्वारा, विद्यार्थी को निकास करने पर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री उपाधि आवंटित नही होगी।

4.3. अनिवार्य सह पाठयक्रम की 75 अंको की बाहय परीक्षा का संचालन विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा।

4.4. इन सभी कोर्सेज का विस्तृत पाठयक्रम इस लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है–

http://learningmedia.in/up-univ-nep-syllabus-2020

5. लघु शोध प्रबन्ध/शोध परियोजना

5.1. स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को तृतीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक वर्ष में (चतुर्थ एवं पंचम वर्ष) एक लघु शोध परियोजना पूर्ण करनी होगी।

5.2. विद्यार्थी द्वारा चुने गए तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय में एवं चतुर्थ तथा पंचम वर्ष के मुख्य विषय में एक शोध परियोजना पूर्ण करनी होगी। यह शोध परियोजना इण्टर डिसिप्लिनरी भी हो सकती है अथवा ट्रैनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

5.3. शोध परियोजना एक शिक्षक मेंटर के निर्देशन में की जाएगी तथा इसमें एक अन्य शिक्षक को, जो किसी उद्योग, कंपनी अथवा तकनीकी संस्थान में कार्यरत हो, कोसुपरवाइजर के रूप में लिया जा सकता है।

5.4. विद्यार्थी वर्ष के अन्त में दोनों सेमेस्टर में की गयी शोध परियोजना की एक संयुक्त शोध परियोजना महाविद्यालय/विश्वविद्यालय मे जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अन्त में विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाहय परीक्षक एवं आन्तरिक परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा। अनुदानित अथवा शासकीय महाविद्यालयों में नियमित शिक्षक होने की दशा में सुपरवाइजर/मेंटर ही आन्तरिक परीक्षक होगा, परन्तु अन्य सभी महाविद्यालयों में आन्तरिक परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा नामित होगा।

5.5. शोध परियोजना का शीर्षक मेंटर द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में ही आवंटित कर दिया जायेगा। यह शोध परियोजना विभाग द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षक की देखरेख में, छात्र संख्या अधिक होने पर ,चार से छह विद्यार्थियों के समूह बनाकर सामूहिक रूप से जमा की जाएगी। स्नातक स्तर पर महाविद्यालय द्वारा परियोजना हेतु दो में से एक मुख्य विषय का चयन, छात्र संख्या के अनुपात में एकसमान रूप से किया जाना चाहिए। प्रत्येक समूह, प्रबन्ध की दो प्रति वर्ष के अन्त में विभाग में जमा करेगा। सामूहिक रूप से जमा की गयी यह शोध परियोजना लगभग चालीस से पचास पृष्ठों की होगी। मौखिक परीक्षा (Viva Examination) के आधार पर भिन्न–भिन्न विद्यार्थियों के अंक निर्धारण भिन्न–भिन्न हो सकते है। यह लघु प्रबन्ध प्रत्येक छात्र के लिए महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

5.6. स्नातक स्तर (तृतीय वर्ष) के विद्यार्थी की अंक तालिका पर शोध परियोजना के अंक तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें CGPA की गणना में शामिल नही किया जायेगा।

5.7. स्नातक (शोध सहित) चतुर्थ वर्ष तथा स्नातकोत्तर पंचम वर्ष की शोध परियोजना के आठ क्रेडिटस व ग्रेड, CGPA की गणना में सम्मिलित किये जाएंगे।

5.8. तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में शोध परियोजना पूर्ण करना अनिवार्य है, इसे पूर्ण किये बिना विश्वविद्यालय द्वारा आगामी वर्ष में कक्षोन्नति नही की जाएगी।

6. किसी भी पाठयक्रम में प्रवेश, निकास, पुनः प्रवेश एवं Ex- छात्र होने के प्रतिबन्ध

6.1. प्रत्येक छात्र को विषम सेमेस्टर से सम सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जायेगा, परन्तु इसके लिए विद्यार्थी ने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किया हो, आवश्यक उपस्थिति 75 प्रतिशत पूर्ण की हो तथा निर्धारित आन्तरिक तथा बाहय परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ हो।

6.2. प्रथम से पंचम वर्ष तक आवश्यक कुल क्रेडिटस तथा मुख्य विषयों के क्रेडिटस का विवरण इस प्रकार हैः—

वर्ष	कुल आवश्यक क्रेडिटस	मुख्य विषयों के क्रेडिटस
प्रथम	46/48	36
द्वितीय	46/48	36
तृतीय	40	40
चतुर्थ	52	40
पंचम	48	40

6.3. यदि छात्र द्वारा, वर्तमान वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट्स उपार्जित किये जाते हैं, तथा निर्धारित सह–पाठ्यक्रमों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण कर लेता तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान वर्ष से आगामी वर्ष में PASS टिप्पणी द्वारा कक्षोन्नत किया जायेगा।

6.4. यदि छात्र द्वारा कुल आवश्यक क्रेडिट्स उपार्जित नहीं किये जाते हैं, तो कुल आवश्यक क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा मुख्य विषयों के क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट्स अर्जित किये जाने पर ही, उसे उसे वर्तमान वर्ष से आगामी वर्ष में "BACK PROMOTED" टिप्पणी द्वारा कक्षोन्नत किया जायेगा।

6.5. कोई भी विद्यार्थी वर्तमान वर्ष से आगामी वर्ष में तब तक कक्षोन्नत नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह विगत वर्ष के कुल क्रेडिट्स अर्जित नहीं कर लेता तथा सभी निर्धारित सह–पाठ्यक्रमों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

6.6. यदि विद्यार्थी बिंदु 6.3 अथवा बिंदु 6.4 प्रतिबन्ध पूर्ण नहीं करता, तो "FAIL" टिप्पणी के साथ अंकपत्र जारी होगा तथा वह आगामी वर्षों में सम्बंधित विषयों की पुनः परीक्षा देकर आवश्यक क्रेडिट्स अर्जित कर सकता है।

PASS	**विषम सेमेस्टर से सम सेमेस्टर में प्रोन्नत** वर्तमान वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट्स अर्जित किये हों तथा निर्धारित सह–पाठयक्रमों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण कर चुका हो।
BACK PROMOTED	**प्रथम से द्वितीस वर्ष में** कुल आवश्यक क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा मुख्य विषयों के क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट्स अर्जित किये हों। **अन्य वर्षो में** वर्तमान वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा मुख्य विषयों के क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट्स अर्जित किये हों। तथा विगत वर्ष के कुल आवश्यक क्रेडिट्स अर्जित किये हों तथा निर्धारित सह–पाठ्यक्रमों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण कर चुका हो
FAIL	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी परिस्थितियों में Fail

6.8. यदि कोई विद्यार्थी किसी सेमेस्टर का विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क तो जमा करता है, लेकिन परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होता, तो वह आगामी वर्षों में महाविद्यालय प्रवेश लिये बिना विश्वविद्यालय परीक्षा देने हेतु अर्ह होगा। परन्तु यदि वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही जमा नहीं कर पाता है, तो आगामी वर्षों में शुल्क जमा कर उसी सेमेस्टर में पुनः नियमित प्रवेश हेतु अर्ह होगा।

6.9. प्रथम वर्ष में निकास करने पर विद्यार्थी को "Certificate in Faculty", द्वितीय वर्ष में निकास पर "Diploma in Faculty" तथा तृतीय वर्ष में निकास पर "Degree in Faculty" प्रदान की जाएगी। इसके लिए छात्र द्वारा एक वर्ष में न्यूनतम 46 क्रेडिट्स, दो वर्ष में न्यूनतम 92 क्रेडिट्स तथा तीन वर्षों में न्यूनतम 132 क्रेडिट्स अर्जित करना तथा सभी वर्षों के अनिवार्य सह–पाठ्यक्रम तथा अपने तृतीय वर्ष के लघु शोध परियोजना पूर्ण करना अनिवार्य है।

6.10. कोई भी एक उपाधि पूर्ण करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष तथा स्नातक उपाधि पूर्ण कने की कुल अधिकतम अवधि नौ वर्ष है।

6.11. चुतर्थ वर्ष अर्थात "Bachelor of Research" तथा पंचम वर्ष अर्थात "Master in Faculty" उपाधि पूर्ण करने की प्रत्येक की अधिकतम अवधि तीन वर्ष है। इसके लिए छात्र द्वारा चार वर्ष में न्यूनतम 184 क्रेडिट्स तथा पॉच वर्ष में न्यूनतम 232 क्रेडिट्स अर्जित किये जाने चाहियें तथा लघु शोध परियोजना को पूर्ण करना अनिवार्य है।

6.12. **षष्टम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिए:** यह वर्ष उच्च शिक्षा का अंतिम वर्ष होगा जिसे पूर्ण करने पर "स्नातकोत्तर उपाधि (शोध सहित)" (Post Graduate Degree of Research) प्राप्त होगी

- इस वर्ष प्रथम सेमेस्टर अर्थात ग्याहरवे सेमेस्टर में छात्रों को सम्बन्धित विषय के दो पाठ्यक्रम (प्रति छह क्रेडिट्स) तथा एक चार क्रेडिट्स का अनिवार्य पाठ्यक्रम "Reesarch Methodology" का अध्ययन करना होगा।
- इस प्रकार इस सेमेस्टर में कुल अधिकतम 16 क्रेडिट्स अर्जित करने के पश्चात छात्र, शोध की ओर अग्रसर हो जायेगा तथा अगले सेमेस्टर से शोध प्रबन्ध व शोध प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा।

7. क्रेडिट्स एवं क्रेडिट निर्धारण

7.1. थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घण्टा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा।

"क्रेडिट का सामान्य अर्थ है, एक सप्ताह में शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध समय (घंटे)" अर्थात थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक सेमस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य करना होगा।

7.2. प्रैक्टिकल/ इंटर्नशिप/ फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे का शिक्षण कार्य होगा अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का कार्य करना होगा। शिक्षक के कार्य भार की गणना इस प्रकार की जाएगी–

= HOURS OF THEORY +½ (HOURS OF PRACTICAL /INTERNSHIP/FIELD WORK)

7.3. शब्द "ऑफर क्रेडिट" तथा "अर्जित क्रेडिट" अलग अलग रूप से प्रयुक्त होगा, विद्यार्थी को प्रवेश के समय सम्बंधित विषयों के क्रेडिट्स ऑफर तो होंगे, परन्तु वह उन क्रेडिट को तभी अर्जित करेगा, जब विषय की आवश्यक परीक्षा में स्नातक स्तर पर 33 प्रतिशत, स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर (शोध सहित) में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण होकर ग्रेड अर्जित कर ले।

7.4. क्रेडिट्स का राज्य स्तर पर संरक्षण–क्रेडिट्स सम्बन्धी समस्त कार्य राज्य स्तरीय ABACUS-UP शासनादेश संख्या–1816/सत्तर–3–2021 दिनांक 09.08.2021 के माध्यम से किये जाएँगे।

7.5. **क्रेडिट अर्जन तथा उपयोग के पश्चात री–क्रेडिट की सुविधा** –यदि कोई छात्र एक वर्ष की शिक्षा के बाद 46 क्रेडिट्स का उपयोग कर, सर्टिफिकेट प्राप्त कर निकास कर जाता है, तो उस के क्रेडट्स खर्च मान लिए जाएँगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह अपना मूल सर्टिफिकेट जमाकर 46 क्रेडिट्स अपने खाते में री– क्रेडिट करेगा। जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष के पश्चात् 92 (46+46) क्रेडिट्स अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है ,तो वह निकास के समय एक, दो, अथवा तीन वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री का पात्र होगा।

7.6. **संकाय अथवा विषय बदलने पर डिप्लोमा नही**–द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा तृतीय मुख्य विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएंगे न कि

डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट्स अर्जित करने होंगे।

7.7. **संकाय में डिग्री** –तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय के तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट्स 112 के 60 प्रतिशत अर्थात न्यूनतम 67 क्रेडिट्स प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे B.A/ B.Sc/B.Com. की उपाधि प्रदान की जाएगी तथा अंतिम वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी भी एक विषय में वह स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अर्ह होगा।

7.8. बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन– यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय के तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट्स 112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट्स अर्जित नहीं कर पाता, तो वह बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन डिग्री का पात्र होगा तथा वह उन्ही विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा, जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता की आवश्यकता नहीं होती। सामान्यतः इस श्रेणी में कला वर्ग के, भाषा संकाय के अतिरिक्त ऐसे विषय आएंगे, जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

7.9. यदि कोई विद्यार्थी अपने सर्टिफिकेट/डिप्लोमा के क्रेडिट्स, री– क्रेडिट्स कर आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गए क्रेडिट्स का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

7.10. **रोजगार परक पाठ्यक्रमों में क्रेडिट्स**–रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को तीन क्रेडिट्स अर्थात प्रति वर्ष छह क्रेडिट्स अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी इससे अधिक क्रेडिट्स वाले रोजगार परक पाठ्यक्रमों का भी चुनाव कर सकता है ,परन्तु सर्टिफिकेट /डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में एक वर्ष में छह व दो वर्षों में 12 क्रेडिट्स का ही उपयोग किया जायेगा।

8. परीक्षा व्यवस्था

8.1 सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंकों के लिए सतत आन्तरिक मूल्यांकन तथा 75 अंकों के लिए बाहय मूल्यांकन पर अधारित होगी।

8.2. 25 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रम में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप असाइनमेंट, क्लास टेस्ट व अन्य रिपोर्ट्स के आधार पर होगा, जिनका ब्यौरा सम्बन्धित विभाग/महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष आगे तक सुरक्षित रक्खा जायेगा।

8.3. अनिवार्य सह–पाठ्यक्रम की आन्तरिक व बाहय दोनों परीक्षाएं बहु–विकल्पीय आधार पर होगी तथा उत्तीर्ण प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत होगा।

8.4. विद्यार्थी द्वारा अर्जित आन्तरिक व बाहय परीक्षाओं में कुल प्राप्तांक को जोडकर, विश्वविद्यालय द्वारा निम्न क्रेडिट एवं फार्मूला के आधार पर परसेंटाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर लिया जायेगा।

GRADE	विवरण	अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	OUTSTANDING	91–100	10
O+	EXCELLENT	81–90	9
A	VERY GOOD	71–80	8
B+	GOOD	61–70	7
B	ABOVE AVERAGE	51–60	6
C	AVERAGE	41–50	5
P	PASS	33–40 (स्नातक स्तर के लिए) Absolute 40 (स्नातकोत्तर स्तर के लिए)	4
AB	ABSENT		0
F	FAIL	0–32 (स्नातक स्तर के लिए) 0–39 (स्नातकोत्तर स्तर के लिए)	0
Q	QUALIFIED	For Non-Gradable Course	0
NQ	NOT QUALIFIED	For Non-Gradable Course	0

8.5. रोजगार परक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन 100 अंको में से महाविद्यालय तथा ट्रेनिंग/इंटरशिप/स्किल पार्ट नर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा जिसमें उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होंगे। यहाँ प्रशिक्षण/प्रयोगात्मक मूल्यांकन 60 अंको का तथा थ्योरी मूल्यांकन 40 अंको का होगा।

8.6. SGPA एवं CGPA की गणना इस प्रकार की जाएगी।

FOR J-th SEMSTER- SGPA (Sj) =Σ(Ci x Gi) / ΣCi	Where Ci = Number of Credits of the i- th course in j-th Semester Gi = Grade Points scored by the student for i- th course in j-th Semster
CGPA = Σ(Cj x Sj) / ΣCj	Where Sj = SGPA for the j- th Semster Cj = Total number of Credits of j- th Semster

8.7. **CGPA की प्रतिशत अंकों में गणना**–समतुल्य प्रतिशत = CGPA X 9.5

8.8. **श्रेणी वर्गीकरण की व्यवस्था–**

- **प्रथम श्रेणी–CGPA 6.5 या उस से अधिक**
- **द्वितीय श्रेणी–CGPA 5.0 या उस से अधिक तथा 6.5 से कम**
- **तृतीय श्रेणी–CGPA 4.0 या उस से अधिक तथा 5.0 से कम**

9. उपस्थिति व क्रेडिट वेलिडेशन

9.1. क्रेडिट्स वेलिडेशन (अर्जित क्रेडिट्स) के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करके ग्रेड प्राप्त करने के पश्चात ही क्रेडिट्स अर्जित होंगे अर्थात परीक्षा के बिना क्रेडिट्स अपूर्ण रहेंगे।

9.2. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.3. यदि विद्यार्थी महाविद्यालय द्वारा आयोजित आतंरिक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो उसे आतंरिक परीक्षा में शून्य अंक आवंटित किये जायेंगे। इस स्थिति में विद्यार्थी को, उत्तीर्ण होने के लिए कुल पूर्णांक 100 के स्नातक स्तर पर न्यूनतम 33 प्रतिशत या स्नातकोत्तर स्तर पर 40 प्रतिशत प्राप्तांक, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बाह्य परीक्षा में प्राप्त करने होंगें।

9.4. यदि कोई छात्र उपस्थिति के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बाह्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारणवश आतंरिक परीक्षा में तो सम्मिलित होता है परन्तु बाह्य परीक्षा नहीं दे पाता अथवा फेल हो जाता है, तो विद्यार्थी का आगामी वर्षों में महाविद्यालय की आतंरिक परीक्षा में सम्मिलित होना वैकल्पिक है, उसके आतंरिक परीक्षा के वही अंक विश्वविद्यालय को प्रेषित कर, बाह्य परीक्षा के अंको में जोड़ दिया जायेगा।

9.5. किसी भी वर्ष में फेल (Fail) छात्र आगामी वर्षों में महाविद्यालय में प्रवेश लिये बिना विश्वविद्यालय का निर्धारित परीक्षा शुल्क जमाकर केवल उन्ही विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होगा जिनमें वह आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट अर्जित नही कर पाया था। उन विषयों में उत्तीर्ण होकर वह आगामी वर्षों में नियमित प्रवेश हेतु अर्ह होगा।

9.6. स्नातक स्तर पर बाह्य परीक्षा में न्यूनतम 25 अंक तथा कुल परीक्षा में (आतंरिक व बाह्य परीक्षा के अंको को जोड़कर) 33 अंक प्राप्त करने पर , तथा परास्नातक स्तर (उच्च शिक्षा के चतुर्थ, पंचम व षष्ठम वर्ष) में बाह्य परीक्षा में न्यूनतम 30 अंक तथा कुल परीक्षा में (आतंरिक व बाह्य परीक्षा के अंको को जोड़कर) 40 अंक प्राप्त करने पर, विद्यार्थी उस विषय में उत्तीर्ण होकर, उसके निर्धारित क्रेडिट अर्जित कर सकता है।

9.7. विश्वविद्यालय में पुनः परीक्षा/अंक सुधार परीक्षा की कोई अतिरिक्त व्यवस्था नही होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर की विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ ही पुनः परीक्षा दी जा सकती है परन्तु यह व्यवस्था भी वर्तमान वर्ष से केवल एक वर्ष पूर्व के प्रश्न पत्रों के लिए ही लागू रहेगी। जिसका पाठ्यक्रम वही होगा जो उस सेमेस्टर में उपलब्ध होगा।

9.8. उत्तर प्रदेश शासन जारी शासनादेशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा, इसमें आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं तथा अन्य कोई बिंदु जो यहाँ उल्लिखित नहीं है, उसका स्पष्टीकरण भी समय समय पर जारी शासनादेशों के ही अधीन रहेगा।

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

शैक्षणिक कैलेंडर (Academic Calendar) सत्र 2024–25

क्र०सं०	शैक्षणिक कार्यक्रम	दिनांक
विषम सेमेस्टर		
1	स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2024–25 के वेब रजिस्ट्रेशन की तिथि	01.05.2024 से 31.05.2024
2	समस्त परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम सेमेस्टर के वेब रजिस्ट्रेशन की तिथि	01.06.2024 से 30.06.2024
3	स्नातक प्रथम सेमेन्टर में प्रवेश की तिथि	01.07.2024 से 15.07.2024
4	स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा परास्नातक तृतीय सेमेस्टर के शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	01.07.2024 से
5	स्नातक प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	16.07.2024 से
6	समस्त परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर प्रवेश की तिथि	01.07.2024 से 15.07.2024
7	स्नातक विषम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने की तिथि	02.09.2024 से 16.09.2024
8	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम विषम सेमेस्टर की मिड–टर्म परीक्षा की तिथि	01.10.2024 से 14.10.2024
9	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि	15.10.2024 से 30.10.2024
10	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विषम सेमेस्टर के शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि	09.11.2024
11	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विषम सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा की तिथि	12.11.2024 से 24.12.2024
12	शीतावकाश	25.12.2024 से 31.12.2024
13	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विषम सेमेस्टर के परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	16.01.2025
सम सेमेस्टर		
14	स्नातक एवं परास्नातक डिप्लोमा सम सेमेस्टर के शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	01.01.2025
15	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के परीक्षा फार्म भरने की तिथि	01.02.2025 से 15.02.2025
16	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सम सेमेस्टर के मिड टर्म सेमेस्टर परीक्षा की तिथि	01.03.2025 से 15.03.2025
17	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सम सेमेस्टर के प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि	15.03.2025 से 30.03.2025
18	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा के शिक्षण कार्य पूर्ण करने की तिथि	31.03.2025
19	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सम सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा की तिथि	03.04.2025 से 15.05.2025
20	ग्रीष्मावकाश	16.05.2025 से 30.06.2025
21	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सम सेमेस्टर के परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	06.06.2025